संख्या–698 पॉच–5/2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्रीमती रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ:दिनांक 24 मार्च,2020

विषयः–कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम हेतु लाजिस्टिक–क्रय किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कतिपय लाजिस्टिक्स, जैसे मास्क, पीपीई, RT-PCR उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने हेतु बजट की तत्काल आवश्यकता है। उ0 प्र0 मेडीकल सप्लाईज कारपोरेशन की स्थापना के उपरान्त समस्त उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु उक्त कारपोरेशन को अधिकृत किया गया है। वर्तमान में कोविड–19 रोग की गंभीरता/आपातस्थिति को देखते हुये उक्त धनराशि सीधे यू0पी0एम0एस0सी0एल के खाते में हस्तान्तरित किया जाना उचित होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपदा राहत निधि में उपलब्ध धनराशि से रू0 50 करोड़ मात्र की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0 37771749389, IFS Code SBIN 0006893 में उपरोक्त लाजिस्टिक क्रय करने हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लि0 को बजट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि उक्त निगम को बजट उपलब्ध कराना संभव न हो तो चिकित्सा विभाग के अनुदान संख्या–32 में उक्त धनराशि को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या:यथोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।